न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : उम्मेद सिंह रतनू, आर0ए0एस0

अपील प्र0सं0 35/2022(77/2017)

1. भागवंती देवी पुत्री सावित्री देवी पत्नि मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं0 19 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर जरिये मुखत्यारआम श्योरत्न पुत्र श्री मोहनलाल ब्राहमण आयु 45 वर्ष निवासी वार्ड नं. 19 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (मृतक)
श्योरत्न पुत्र श्री मोहनलाल ब्राहमण आयु 45 वर्ष निवासी वार्ड नं. 19 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर अपीलांट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान।
2. रामकुमार पुत्र श्री मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी चक 60 आर बी तहसील रायसिंहनगर
3. अम्बिका पुत्री सावित्री देवी पत्नि सोहनलाल ब्राहमण निवासी वार्ड नं. 19 सूरतगढ़
4. लक्ष्मी पुत्री सावित्री देवी पत्नि ओमप्रकाश ब्राहमण निवासी भगतसिंह चौक, वार्ड नं. 21 सूरतगढ़
5. श्रीमती कलावती पुत्री स्व0 मोहनलाल पत्नि मुखराम जाति ब्राहमण निवासी बुधवालिया, वीपीओ थालड़का तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
6. श्रीमती संतोष पुत्री स्व0 मोहनलाल पत्नि गणेशाराम जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं. 4
बाबा रामदेव रोड सूरतगढ़
7. श्रीमती कृष्णा पुत्री स्व0 मोहनलाल पत्नि राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं. 4 बाबा रामदेव रोड़, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध इतंकाल संख्या 348/31.11.2014 निर्णय तहसीलदार रायसिंहनगर

उपस्थित : 1. श्री जगमोहन आहूजा, अधिवक्ता, अपीलांट
2.. श्री मोहनलाल माहर, अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की ओर से।
3. एकपक्षीय कार्यवही रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ता. 7।
4. राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

आदेश दिनांक : 30.05.2023

अपीलांटा द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत रेस्पोडेन्टस के खिलाफ अपील पेश की गई है, जिसके संक्षेप में सारवान तथ्य इस प्रकार हैं कि चे 60 आर. बी तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 61 हाल 67 के पं. नं. 172/268, किला नंबर 6/2, 7, 8, 13 ता. 15 की 1.442 हैक्टेयर, पं. नं. 170/271 के किला नंबर 1 ता. 10 की 2.530 हैक्टेयर, पं. नं. 171/268 के किला नंबर 11 ता. 17 की 1.771 हैक्टेयर कुल 5.743 हैक्टैयर दर्ज कागजातराज थी, अपीलांट की माता का देहातं हो गया जिसकी जायज वारिस अपीलांटा तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 3, 4 कुल 3 ही वारिस थे, अतः अपीलांटा का उपरोक्त सम्पति व माता की अन्य सम्पति में 1/3 हिस्सा बना मगर रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने अपीलांटा भागवंती देवी(मृतक) का हक हिस्सा हडपने की नियत से कथित कुटरचित वसीयत बनाकर अपीलांटा की माता के देहांन्त के बाद इतंकाल

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

[Type text]
Scanned with CamScanner

जेर अपील चुपचाप करवाकर रकबा अपने नाम दर्ज करवा लिया। अपीलांटा अपनी माता मृतक सावित्री देवी की पुत्री व हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रवधानों के अनुसार प्रथम श्रेणी की जायज वारिस है। अतः उसका माता की सम्पति में कानूनन 1/3 हिस्सा वनता है। अतः वह माता की उपरोक्त भूमि में 1/3 हिस्सा की हकदार है। अतः अपीलांटा प्रभावित व्यक्ति थी जिसको इंतकाल करने से पूर्व न तो कोई नोटिस दिया गया, न ही बुलाया गया, न सुना गया। अतः न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों की कतई पालना नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कानुनी व न्यायिक प्रकिया अपनाये तथाकथित वसीयत के आधार पर इंतकाल तस्दीक किया जबकि वारिसान के नाम नोटिस जारी करना, किसी दैनिक समाचार पत्र में आपति सूचना प्रकाशित करवाना तथा प्रभावित पक्षकारों को बुलाकर सुनकर सर्वप्रथम आदेश पारित करना कि इंतकाल दर्ज किया जावे, के उपरांत इंतकाल तस्दीक करना आवश्यक था। मगर इस प्रकार की कोई कानूनी प्रकिया नहीं अपनाई गयी। अधीनस्थ न्यायालय को वसीयत की वैद्यता की जांच करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं था। अतः जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से प्रोवेट हासिल नहीं किया जाता अथवा वसीयत के आधार पर रेस्पोडेण्ट सं. 2 हकदार घोषित नहीं करवाता, तब तक कानूनन इंतकाल नहीं किया जा सकता, मगर इस प्रकार की कोई प्रकिया पूर्ण नहीं हुई है। अपीलांटा की माता ने अपने जीवनकाल में वास्तव में कभी कोई वसीयत नहीं की तथाकथित वसीयत कूटरचित है अथवा इन डयू इनफलेंस में सावित्री को धोखा देकर करवायी गयी है, क्योंकि अपीलांटा की माता की सेवा अपीलांटा ही करती थी, अतः रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के हक में वसीयत करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता था, न ही अपीलांटा की माता ने कभी कोई वसीयत की, न ही ऐसी कोई इच्छा वतायी। अपीलांटा की माता सन् 1990 में 70 साल से अधिक आयु की थी, उसको न तो पूरी तरह से सुनाई देता था, न ही दिखाई देता था तथा न ही पूर्ण रूप से होश हवास में थी, न ही स्वस्थचित थी तथा वसीयत करने में न तो पूर्ण रूप से सक्षम थी, न ही कानूनन हकदार थी। जब रेस्पोडेण्ट संख्या 02 भूमि को मुंतकिल करने लगा व लोगों को दिखाने लगा तो ऐसी स्थिति में पटवारी से संपर्क किया तो इतंकाल जैर अपील होने का पता चलने पर अपील पेश की गयी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर वाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अपील से संबधित मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। वहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अधिवक्ता अपीलांटा ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि सावित्री देवी के तीन पुत्रियां थी जिनका संपति में 1/3 हिस्सा था परंतु रेस्पोडेण्ट सं. 02 द्वारा कुटरचित वसीयत वनाकर अपीलाधीन इंतकाल का रकबा अपने नाम दर्ज करवा लिया। प्रश्नगत रकबा स्वयं अर्जित भूमि न होकर जद्दी जायदाद थी जिसमें सभी का हिस्सा वरावर था। अतः अकेली के नाम वसीयत करवाना कानूनन गलत है। यह वसीयत आरंभत शुन्य है। आरंभत शुन्य दस्तावेज को खारिज करवाने की आवश्यकता नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक वारिसान को बिना सुने आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। जबाव वहस में अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने कथन किया है कि प्रश्नगत रकबा सावित्री देवी को जरिये वसीयत मोतीराम द्वारा प्राप्त हुआ था एवं सावित्री देवी ने इसकी वसीयत अपने दोहिते के नाम दिनांक 23.05.1990 को कर दी थी। इसका इंतकाल दिनांक 31.11.2014 को मंजूर हुआ। अपीलाधीन इंतकाल उपतहसीलदार मुकलावा के आदेश दिनांक 10.10.2014 की पालना में दर्ज हुआ है। अधिवक्ता ने अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी2005 पेज नं. 774

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

का उल्लेख किया है। साथ ही अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने कथन किया है कि विचाराधीन अपील पोषणीय नहीं है क्योंकि यह मियाद से बाहर है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.11.2014 का है। अपील 02 वर्ष 09 माह बाद दिनांक 22.09.2017 को प्रस्तुत की है। अपीलांटा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के पैरा संख्या 03 में दिनांक 07.09.2017 को इस इंतकाल का पता चलना अंकित किया है जबकि पत्रावली पर भी अपीलांटा भागवंती का शपथ पत्र दिनांक 20.04.2015 उपलब्ध है जिससे यह साबित होता है कि प्रश्नगत इंतकाल की उसे जानकारी थी। यह प्रशनगत वसीयत रजिस्टर्ड वसीयत है जिसकी वैद्यता को इस न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती । साथ ही इसके संबंध में सिविल वाद न्यायालय में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुए अखबार में सूचना प्रकाशित करते हुए इंतकाल स्वीकृत किया गया है, अतः अपील अपीलांट पोषणीय न होने के कारण खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया । न्यायिक दृष्टांत व अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांटा भागवंती देवी एवं मुख्तयारआम श्योरत्न पुत्र मोहनलाल के शपथ पत्र से यह प्रकट होता है कि अपीलाधीन इंतकाल के संबंध में 2015 से जानकारी थी। अतः अपील बिलंब से पेश की गयी है तथापि इस अपील को मियाद के बिंदु पर खारिज न कर गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है। प्रश्नगत इंतकाल सं. 348 सक्षम न्यायालय के द्वारा जारी आदेश दिनांक 10.10.2014 की पालना में दर्ज हुआ है। प्रश्नगत वसीयत रजिस्टर्ड वसीयत है जिसकी वैद्यता को चुनौती केवल सिविल न्यायालय में दी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अखबार में सूचना प्रकाशित करते हुए रजिस्टर्ड वसीयत के इंतकाल के आदेश दिये गये। इसमे कोई भी हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को रिकार्ड के साथ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 30.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उम्मेद सिंह रत्नू)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner